

भारत सरकार  
परमाणु ऊर्जा विभाग  
05.12.2013 को राज्य सभा में  
पूछा जाने वाला अतारांकित प्रश्न संख्या 9.

नाभिकीय दायित्व संबंधी कानूनों को शिथिल किए जाने का प्रस्ताव

9. श्रीमती रजनी पाटिल :  
श्री के. सी. त्यागी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सच है कि सरकार भारत के नाभिकीय दायित्व संबंधी कानूनों को शिथिल करने का विचार रखती है; और
- (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरे सहित इसके कारण क्या हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय  
( श्री वी. नारायणसामी )

- (क) जी, नहीं। “नाभिकीय क्षति के लिए असैन्य दायित्व अधिनियम, 2010” को शिथिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
- (ख) ऊपर (क) के मद्दे नज़र यह प्रश्न ही नहीं उठता।

\* \* \* \* \*